

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिकप्रकरण कमांक-616 / 15
संस्थापित दिनांक 30 / 09 / 15
फाईलिंग नम्बर 233504000872015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

उत्तम उर्फ बडू पिता आनंदाव देशमुख, उम्र 26 वर्ष,
 जाति कुन्बी, पेशा दुकानदारी, ग्राम जम्बाड़ा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----- अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक- 08 / 08 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323, 506 भाग-2 के तहत अभियोग है कि दिनांक 13/09/15 समय 06:00 बजे शाम करीब या उसके लगभग कुरमुड़ नदी के पास प्रार्थी का खेत रोड जम्बाड़ा, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं उसे हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की और फरियादी संगीताबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति करित की और जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जम्बाड़ा रहती है। खेती का एवं घरेलू काम करती है। उसके जेठ का लड़का उत्तमराव उर्फ बडू पिता आनंदराव देशमुख उनका खेत और उसका खेत पास पास लगे हुए हैं। कुरमुड़ नदी के पास वह खेत से शाम को करीब 6 बजे बंदर भगा रही थी, तभी भतीजा बडू आया और उसे गंदी-गंदी गाली दिया, तू लालावाडी की है मादरचोद हरामखोर बहुत स्याहनी बनती है तो उसने भी गाली देकर विरोध किया तो मारने दौड़ा हाथ मुक्कों से मारपीट किया। गवाह राजेश पंडाग्रे और लोकेश किराड़ है, फिर गाली गुप्तार की आवाज सुनकर बैलों को पानी पिलाने उसका पति संतोष गया था नदी पर वह आया तो उनके साथी झुमा झटकी कर एवं गंदी-गंदी गालीयाँ दिया तथा जान से मारने की धमकी दिया एवं उसके जेठ सिलपत को भी वेन से कट मार कर जान से मारने की धमकी दिया। रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर

अप0कं0-499/15 कायम कर अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 धारा-294, 323, 324, 506 भाग-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 16.09.15 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 1- "क्या दिनांक 13/09/15 समय 06:00 बजे शाम करीब या उसके लगभग कुरमुड़ नदी के पास प्रार्थी का खेत रोड जम्बाड़ा, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप फरियादी को मौं बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?"
- 2- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?"
- 3- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति करित की?"
- 4- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 2, 3 का निराकरण

6- अभियोजन साक्षी संगीता देशमुख (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो उसे उसके साथ हाथ एवं लात से मारपीट किए जिससे उसके बाएं हाथ में चोट आई थी। उसके बच्चेदानी से खून निकलने लगा था। आरोपी ने उसे बाएं हाथ में काट दिया था। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि जमीन नहीं दे रहे हैं आने जाने से रोक रहे हैं इसी बात का विवाद है। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त बात के अलावा आरोपीगण से कोई विवाद नहीं है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त घटना के पूर्व भी उसने आरोपी की कई बार शिकायत की थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है, जैसा बटवारा चाहते हैं वैसा बटवारा आरोपी उनको दे देता है तो वे उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जमीन नहीं देने के कारण आरोपी से विवाद रखती है और उक्त विवाद के कारण ही इस साक्षी ने कई बार थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह गवाह

अभियुक्त को जमीन के विवाद को लेकर रंजिश वश झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई हो। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में इस गवाह के द्वारा स्वीकृत तथ्यों के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा हाथ मुक्को एवं दांत से काटकर स्वेच्छया साधारण उपहति एवं स्वेच्छा उपहति कारित की गई हो।

7— अभियोजन साक्षी डा० मनीष जौन्जारे (अ०सा००५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने संगीता देशमुख पति संतोष देशमुख का परीक्षण किया था। उसने बाएं हाथ पर गोदना पहचान चिन्ह है। चोट नं० १ पेट पर दर्द था जो सख्त वस्तु से आना पाया गया था, चोट फ्रेश थी। चोट नं० २ दांतों से काटा निशान था जो एक गुणित एक से.मी. था। चोट कं० १ व २ गंभीर प्रकृति की नहीं थी। चोट कं० १ व २ एकदम ताजी थी जो १ घंटे के अंदर पहुँचाई गई, दर्शित होती थी, उसकी रिपोर्ट प्र०पी० ३ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जबकि यह गवाह पुष्टिकारक साक्ष्य है जो कि घटना घटित होने के तथ्यों को स्पष्ट करती है। किन्तु यह गवाह फरियादी संगीता देशमुख के शरीर में पाई गई चोट को १ घंटे के अंदर पहुँचाई गई दर्शित होना प्रगट किया है। जबकि घटना दिनांक १३/०९/१५ की है और डा० मनीष जौन्जारे (अ०सा००५) के द्वारा परीक्षण दिनांक १४/०९/१५ को किया गया है जो कि एक दिन पश्चात् परीक्षण किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वास किया जाना कि अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक १३/०९/१५ को अभियुक्त के द्वारा फरियादी संगीता देशमुख के शरीर पर चोट पहुँचाई का तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

8— अभियोजन साक्षी संतोषराव (अ०सा००२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह और उसकी पत्नी और उसकी बहन बंदर भगा रहे थे तभी मौके पर आरोपी उत्तम आया और उसकी गाड़ी में राजेश भी था। आरोपी ने हाथ मुक्को से उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया था वह मौके पर पहुँचा तो आरोपी बेन से तलवार निकाल उसे मारने को हुआ। अभियोजन साक्षी सिलपतराव (अ०सा००३) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसके भाई और उसकी बहन तथा उसके भाई की पत्नी संगीता बंदर भगा रहे थे तभी आरोपी उत्तम आया और संगीता को मां बहन की गंदी गालियाँ देकर हाथ मुक्कों से मारपीट किया। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने मारपीट करने के तथ्य का समर्थन किया है। किन्तु डा० मनीष जौन्जारे की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो चुका है कि घटना दिनांक को फरियादी संगीता देशमुख के शरीर में जो चोट पहुँचाई गई थी वह घटना दिनांक की नहीं है। स्वयं फरियादी संगीता की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो चुका है कि आरोपी एवं फरियादी के बीच जमीन को लेकर विवाद है। इस कारण वह रंजिशवश झूठा फंसाया गया है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में उक्त दोनों गवाहों के द्वारा न्यायालय के समक्ष बताई गई साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है कि अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को फरियादी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति एवं दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति करित की गई हो।

9— अभियोजन साक्षी प्रीतमसिंह (अ०सा००४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि विवेचना के दौरान दिनांक १६/०९/१५ को उसके द्वारा घटना स्थल पर जाकर घटना नक्शा मौका प्र०पी० २ बनाया है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक १८/०९/१५ को साक्षी संतोष, संगीताबाई, राजेश, सिलपतराव, लोकेश के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे उसकी ओर से कुछ जोड़ा व घटाया नहीं था। किन्तु

फरियादी संगीता की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो चुका है कि उसके द्वारा जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है डा० मनीष जौन्जारे की साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को जो फरियादी के शरीर में चोट थी वह घटना दिनांक की नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 2, 3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं. 1 एवं 4 का निराकरण

11— अभियोजन साक्षी संगीता (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के पूर्व से वह खेत से बंदर भगा रही थी तभी उत्तम आया और उससे बोला कि मां की लवड़ी उसे काट कर फेंक दूंगा, गाली सुनने में बुरी लगी। किन्तु प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र०पी० 1 एवं फरियादी संगीता (अ०सा०१) के 161 द०प्र०स० के कथनों में उक्त गाली का उल्लेख नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया गया। साथ ही इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे अभियुक्त ने उसे किस प्रकार की धमकी दी, जिसका प्रभाव उस पर पड़ा हो, जिससे उसे आपराधिक अभित्रास कारित हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया हो।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दुसरों को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 4 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को हाथ मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। उक्त साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। उक्त साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दुसरों को क्षोभ कारित किया। उक्त साक्ष्य से यह भी यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार भाद०वि० की धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग-2 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्त उत्तम को दोषमुक्त किया जाता है।

14— प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं एवं अभियुक्त

का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

15- प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०